निगरानी प्रकरण क्रमांक   /07
प्रस्तुती दिनांक :

माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

दामोदर पिता प्रभुलाल सुईवाल   1 निग० 1464-PBR/07
उम्र – 48 वर्ष, धंधा – खेती,
निवासी – 67, बियाबानी, धार रोड, इन्दौर   ... प्रार्थी

विरुद्ध

द्वारा आज दि. 31 ... को प्रस्तुत।
सचिव
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

ठाकुरसिंह पिता अर्जुनसिंह जरिया
उम्र – 60 वर्ष, धंधा – रिटायर्ड,
निवासी – 36, नगर निगम रोड, इन्दौर   ... प्रतिप्रार्थी

निगरानी अपील अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

प्रार्थी तर्फे सादर निवेदन है कि :–

इसमें प्रार्थी श्रीमान अपर आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा निगरानी प्रकरण क्रमांक 279/अपील/03–04 मे पारित आदेश दिनांक 29/08/2007 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारो पर निगरानी अपील प्रस्तुत करता है :–

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1464—पीबीआर/07 दामोदर/ठाकुरसिंह **जिला इन्दौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26—11—2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों के दौरान बतलाया गया कि उभय पक्ष के मध्य जिस प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में यह निगरानी विचाराधीन है, उसके संबंध में व्यवहार न्यायालय द्वारा दिनांक 20—4—2010 को आवेदक के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि माननीय उच्च न्यायालय से हो चुकी है, इस कारण यह निगरानी निरर्थक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक के उक्त तर्क की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत व्यवहार न्यायालय के आदेशों सहित माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से होती है । अतः माननीय उच्च न्यायालय से प्रकरण का गुण—दोष पर अंतिम निराकरण हो जाने के कारण इस निगरानी में गुण—दोष पर आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है । **(मनोज गोयल)** अध्यक्ष	